

भाग-2

(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
	(2) जिला	हमीरपुर
	(3) वन प्रभाग	हमीरपुर
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	49.32 हे०
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किए जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर०एल०एफ०आर०एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाये	संलग्न है।
	(8) भू:क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	अत्यन्त छोटा एवं पटरी के रूप में क्षेत्र होने के कारण भू: क्षरण के प्रति संवेदनशीलता नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	संलग्न है।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)	नहीं।
	(11) क्या प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/नहीं तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरा/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान	नहीं।

	और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परीयोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं। -
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा-	संलग्न है।
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
	(3) रोपिक किये जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदी।	संलग्न है
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारण क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धित दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII) 8 और में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए	संलग्न है।

	(संलग्न करें)	
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4069 वर्ग कि०मी०
	(2) जिले का वन क्षेत्र	24083.983 हे०
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	95.89
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	177.99 हे०
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
	(ख) वनेत्तर भूमि	शून्य
	(5) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	शून्य
	(क) वन भूमि पर	116.80
	(ख) वनेत्तर भूमि	0.188 हे०
	प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
 हमीरपुर वन प्रभाग
 हमीरपुर